न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 189/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– गिरधारीराम पुत्र आफुराम 2– बुंदी पुत्री आफुराम 3– सुगना पुत्री आफुराम जातियान देवासी (रेबारी) निवासी कुडी तहसील भोंपालगढ जिला जोधपुर		1– मांगीलाल पुत्र आसुराम जाति देवासी (रेबारी) निवासी कुडी, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–6–2015 (22–6–2015) जो उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा लोक अदालत केम्प कुडी (बागोरिया) मे प्रार्थना पत्र संख्या 38/2015 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री ओमप्रकाश डारा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जगदीश प्रजापत रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 8–11–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 मांगीलाल पुत्र आसूराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम कूडी तहसील भोपालगढ के खसरा नंबर 1524/85/1 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नंबर 403/10 रकबा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है । उक्त भूमि प्रार्थी मांगीलाल पुत्र आसुराम व प्रार्थी के काका आफूराम पुत्र भीकाराम जाति देवासी निवासी कुडी को आवंटित हुई थी तथा आवंटन के आदेश मे प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र आसूराम जाति राईका दर्ज है लेकिन जमाबंदी मे त्रुटिवशः प्रार्थी के पिता का नाम आफूराम लिख दिया गया, जबकि आफूराम प्रार्थी के काका है तथा प्रार्थी के पिता का नाम आवंटन आदेश मे आसूराम दर्ज है, जो सही होने से राजस्व रेकर्ड मे त्रुटिवश अंकित मांगीलाल पुत्र आफूराम के स्थान मांगीलाल पुत्र आसूराम दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक लोक अदालत/केम्प कोर्ट/2015/743 दिनांक 22–6–2015 के द्वारा दुरस्ती के आदेश मांगीलाल पुत्र आफूराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र आसूराम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अभिलिखित खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये इन्द्राज परिवर्तन संबंधी अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे अपीलांट को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का प्रभावित खातेदार था इसलिए जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलांट को पक्षकार आदेशिका दिनांक 18–12–2015 के द्वारा बना दिया था तथा आगामी पेशी जवाब हेतु मुकर्रर थी परंतु पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाकर इसकी सूचना अपीलांट को दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय मे भी अपीलांट को पक्षकार अंकित किये बिना ही बहुत जल्दबाजी मे अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त वक्त आवंटन से चला आ रहा है उक्त भूमि पर रेस्पो0 का कभी कब्जा काश्त ही नही रहा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के आवंटन आदेश मे प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र आसूराम जाति राईका दर्ज है लेकिन जमाबंदी मे त्रुटिवशः प्रार्थी के पिता का नाम आफूराम लिख दिया गया जिसे दुरस्त करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ अपने नाम एवं पिता के नाम मांगीलाल पुत्र आसूराम दर्ज होने संबंधी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच के रेस्पो0 के पिता का नाम आफूराम के स्थान पर आसूराम दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2015 के विरूद्ध उक्त अपील विलंब से दिनांक 5–9–2016 को पेश की गई है, इसलिए उक्त अपील मयाद बाहर होने से भी खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध लगभग 15 माह विलंब से यह अपील दिनांक 5–9–2016 को पेश की गई है, जिसे अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे

किये गये उल्लेख के मध्यनजर प्रस्तुत उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार की जाकर गुणावगुण पर विचार किया जाना न्यायोचित समझते है ।

अपीलांट ने यह अपील "विरूद्ध आदेश दिनांक 20–6–2015 (22–6–2015)" का उल्लेख करते हुए पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर दिनांक 20–6–2015 को कोई आदेश पत्रावली मे पारित नही हुआ है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे लोक अदालत केम्प कोर्ट बागोरिया मे पारित आदेश कमांक लोक अदालत/ केम्प कोर्ट/2015/ 743 दिनांक 22–6–2015 उपलब्ध है, जिसके द्वारा मांगीलाल पुत्र आफुराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र आसूराम के नाम की दुरस्ती का आदेश पारित किया गया था ।

परंतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे केम्प कोर्ट बागोरिया मे दिनांक 22–6–2015 को केम्प कोर्ट मे पारित उक्त आदेश का कोई उल्लेख नही किया हुआ है बल्कि पत्रावली मे सीलनुमा आदेशिका जिसमे "पत्रावली लोक अदालत मे पेश हुई। पक्षकारान मे समझाईश की गई परंतु राजीनामा नही हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय को वापिस लोटायी जावे" का आदेश के साथ अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली दिनांक 3–8–2015 से दिनांक 18–12–2015 तक नोटिस इंतजार मे चलती रही ।

अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार भोपालगढ को ही पक्षकार बनाया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प मे की गई कार्यवाही की जानकारी वर्तमान अपीलांटगण को होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे उनकी ओर से दिनांक 19–10–2015 को पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का उल्लेख दिनांक 18–12–2015 की आदेशिका मे किया हुआ है परंतु उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नही किया गया बल्कि पत्रावली को दिनांक 20–6–2016 केम्प कोर्ट कुडी की आदेशिका मे इसप्रकार का आदेश पारित किया गया है " पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया, पत्रावली मे आदेश कमाक 743 दिनांक 22–6–2015 के अनुसार वांछित दुरस्ती के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है तथा राजस्व रेकर्ड मे भी अमल दरामद हो चुका है । अतः प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नही होने से पत्रावली निस्तारण/फेसल सुमार करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा लोक अदालत केम्प कोर्ट बागोरिया मे पारित आदेश कमांक 743 दिनांक 22–6–2015 तथा आदेशिका दिनांक 20–6–2016 मे पारित आदेश को

निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्व रेकर्ड मे दिनांक 22–6–2015 से पूर्व की स्थिति को बहाल रखते हुए वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे, अपीलाधीन भूमि के संबंध मे आवंटन के मूल दस्तावेजात प्रार्थीगण के मूल प्रार्थना पत्र, जांच रिपोर्ट एवं पारित मूल आवंटन आदेश आदि का परीक्षण कर मौके एवं रेकर्ड की स्थिति अनुसार पुनः नये सिरे से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत तरीके से निस्तारण करें ।

निर्णय आज दिनांक 8–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर